न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 93/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. फुवा खां पुत्र अलादान 2. आरब पुत्र अलादान 3. पीरा पुत्र अलादान के कायम मुकाम 3/1 नथु खां पुत्र पीरा 3/2 निजाम खां पुत्र पीरा 3/3 मोहम्मद खान पुत्र पीरा 3/4 सफी पुत्र पीरा 3/5 सदीकखां पुत्र पीरा के कायम मुकाम 3/5/1 अणसी पत्नी सदीक खां 3/5/2 दिलबर खां पुत्र सदीक खां 3/5/3 मुस्ताक खां पुत्र सदीक खां प्रार्थी संख्या 3/5/2 व 3/5/3 नाबालिंक जरिये कुदरती वली माता अणसी 4. सुलेमान पुत्र अलादान 5. हुसैन खां पुत्र गफुर खां 6. राणा खां पुत्र गफुर खां 7. हकीम खां पुत्र गफुर खां 8. सतार खां पुत्र गफुर खां 9. मुस्मात जतनों पत्नी गफुर खां जाति तेली मुसलमान निवासी लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना		1. चुना पुत्र केसा 2. माला पुत्र चिमा 3. मंगा पुत्र चिमा 4. गणपत पुत्र टीकमा 5. जोगा पुत्र टीकमा 6. खरथा पुत्र टीकमा 7. लाच्छो बेवा टीकमा जाति मेगवाल 8. अकबर पुत्र पना 9. गाजी पुत्र पना 10. इशाक पुत्र पना 11. कालु पुत्र पना 12. सुकी पत्नी पना 13. भीखा पुत्र रहीम के कायम मुकाम 13/1 करीम खां पुत्र भीखा 13/2 नसार खां पुत्र भीखा 13/3 गुलाब खां पुत्र भीखा 13/4 पपु खां पुत्र भीखा 13/5 देवी पत्नी भीखा जाति तेली मुसलमान निवासी लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना 14. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 16.09.2020

अधिवक्ता :– श्री हनीफ खां व श्री खेताराम पूनड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर)

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.03.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनीफ खां द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खाता संख्या [illegible] नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 2 खसरा संख्या [illegible]8/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/8 रकबा [illegible] हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 27 खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 56 खसरा संख्या 428/6 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा खाता संख्या 47 रकबा 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर आपस में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा रकबा 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी करवाकर, नक्शा के अनुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश प्रदान की कृपा करावे।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:26 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 13 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों मय डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 20.03.2024 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा रकबा 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मौजा लक्ष्मणपुरा के खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा रकबा 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा रकबा 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.12 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल मेहलू तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 2 खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 27 खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/6 रकबा 1.7240 हेक्टेयर ,खाता संख्या 56 खसरा संख्या 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 428/2 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 2 खसरा संख्या 428/5 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा सख्या 428/8 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा संख्या 428/7 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खाता संख्या 27 खसरा संख्या 427 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा संख्या 428/6 रकबा 1.7240 हेक्टेयर, खाता संख्या 56 खसरा संख्या 428/4 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner